

का.आ. 1831(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 14 जनवरी, 2004 की अधिसूचना सं० सां० आ० 68(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने आर०एन०एस० ट्रस्ट, नवीन काम्पलेक्स, सं० 14, एम० जी० रोड, बंगलोर-560001 द्वारा अस्पताल भवन की आंतरिक साजसज्जा और अंतिम रूप देना, मेडिकल उपस्करों/उपकरणों की खरीद की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 6 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आर०एन०एस० ट्रस्ट, नवीन काम्पलेक्स, सं० 14, एम० जी० रोड, बंगलोर-560001 द्वारा अस्पताल भवन की आंतरिक साजसज्जा और अंतिम रूप देना, मेडिकल उपस्करों/उपकरणों की खरीद की परियोजना या स्कीम को 864.40 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।